

## हिन्दी

वित्तीय विवाद समाधान (फाइनेंशियल डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन (FDR) में आपका स्वागत है

---

एफडीआर एक निःशुल्क सेवा है जो लोगों, तथा उन्हें वित्तीय सेवाएं और परामर्श प्रदान करने वाले वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का समाधान करती है।

वित्तीय सेवा प्रदाता आपको वित्तीय परामर्श, कोई ऋण, आपके वेतन पर कोई अग्रिम, या आपको कोई वस्तु जैसे एक कार खरीदने या किराया खरीद के लिए आपको धनराशि उधार दे सकते हैं। बीमा, गिरवी, या सेवानिवृत्ति योजनाओं के बारे में परामर्श भी वित्तीय परामर्शों में सम्मिलित है।

एफडीआर सर्विस का उपयोग छोटे उद्यमियों द्वारा भी किया जा सकता है-जिनके यहां 20 से कम पूर्णकालिक कर्मचारी हैं।

---

यदि किसी वित्तीय सेवा प्रदाता से आपका कोई मतभेद है, तो एफडीआर की सेवाएं प्राप्त करने से पहले कृपया निम्न बातों की अवश्य जांच कर लें।

- **क्या वित्तीय सेवा प्रदाता एफडीआर का सदस्य है?** यदि यह नहीं है, तो एफडीआर आपके विवाद को स्वीकार नहीं कर सकता। आप उस विवाद योजना का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वित्तीय सेवा प्रदाता संबंधित हो। आप उससे पूछ सकते हैं कि वह किस विवाद योजना का सदस्य है। सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं को एक न एक विवाद योजना का सदस्य होना अनिवार्य होता है और सभी विवाद योजनाएं, उपभोक्ताओं के उपयोगार्थ निःशुल्क हैं।
- **क्या आपने वित्तीय सेवा प्रदाता के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है?** यदि आपकी कोई शिकायत है तो आपको सबसे पहले इसे वित्तीय सेवा प्रदाता के यहां अवश्य दर्ज कराना चाहिए, और प्रतिक्रिया के लिए उसे तीन माह का समय देना होगा। यदि वे प्रतिक्रिया देते हैं और आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मामला एफडीआर के समक्ष ला सकते हैं।
- **क्या विवाद का कारण बनने वाली घटना या कार्यवाही, 1 अक्टूबर 2010 को या इसके बाद हुई?** एफडीआर, केवल उन्हीं घटनाओं संबंधी शिकायतों पर विचार कर सकता है जो 1 अक्टूबर 2010 के बाद या वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा एफडीआर में ज्वॉइन करने की दिनांक से बाद की हों।

- क्या यह शिकायत, वर्तमान में किसी न्यायालय या न्यायिक प्रक्रिया अंतर्गत विचाराधीन है? यदि ऐसा है तो एफडीआर शिकायत पर विचार नहीं कर सकता।

आप इलेक्ट्रॉनिक फार्म का उपयोग करके ऑन-लाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या आप इस फार्म को मुद्रित करके इसे हाथ से भर सकते हैं।

-----  
कृपया अधिक जानकारी के लिए एफडीआर को 0508 337 337 पर मुफ्त कॉल करें।

यदि अंग्रेजी आपकी मुख्य भाषा नहीं है, तो हमारी राय है कि आप सिटिजन्स एडवाइज ब्यूरो को कॉल करके उनकी लैंग्वेज लाइन के लिए अनुरोध करें। यह नम्बर 0800 78 8877 है। या लैंग्वेज लिंक की वेबसाइट [www.cab.org.nz/gethelp/aiyl/Pages/Helpinyourlanguage.aspx](http://www.cab.org.nz/gethelp/aiyl/Pages/Helpinyourlanguage.aspx) देखें।